भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 494

बुधवार, 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

साझा मोबिलिटी उद्योग

***494. श्री बालूभाऊ ऊर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में साझा मोबिलिटी उद्योग की सहायता के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार साझा मोबिलिटी उद्योग के पारिस्थितिकीय, वहनीय एवं सतत लाभों के दृष्टिगत इस उद्योग को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश के उदीयमान कारपूलिंग क्षेत्र के लिए पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार को कर्नाटक जैसे राज्यों में कारपूल क्षेत्र के प्रचालन में आने वाली बाधाओं की जानकारी है; और
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कारपूलिंग कंपनियों को ऐसी बाधाओं से बचाया जाए?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 494 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): शेयर्ड मोबिलिटी को विस्तृत रूप से ऐसी परिवहन सेवाओं और संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे उपयोगकर्ताओं के बीच साथ-साथ अथवा एक के बाद एक साझा किया जाता है। इनमें पब्लिक ट्रांजिट, माइक्रो मोबिलिटी (बाइक शेयरिंग, स्कूटर शेयरिंग), ऑटोमोबाइल आधारित तरीके (कार शेयरिंग, राइड्स ऑन डिमांड, और माइक्रो ट्रांजिट) और आवाजा ही आधारित तरीके अथवा राइडशेयरिंग (कारपूलिंग और वैनपूलिंग) शामिल हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसरण में, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु 27 नवंबर, 2020 को मोटर वाहन एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2020 जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाइसेंस जारी करने पर विचार करने तथा ऐसे एग्रीगेटर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं।

शेयर्ड मोबिलिटी उद्योग की सहायता के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने दिसंबर, 2016 में टैक्सी नीति संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा राज्य स्तर पर परिवहन परिसम्पत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए एमओआरटीएच के मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत प्रावधान किए गए हैं। अनेक राज्यों ने भी शेयर्ड मोबिलिटी इकोसिस्टम को विनियमित करने के लिए नीतियां बनाई हैं। शेयर मोबिलिटी के मामलों सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की योजना और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों/ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पहल शुरु की गई हैं।

कर्नाटक राज्य में कारपूलिंग के कार्यान्वयन अथवा प्रचालन की स्कीम नहीं बनाई गई है।

सरकार निर्धारित व्यवस्था के जरिए परिवहन से संबंधित मामलों/शिकायतों का समाधान करती है। हालांकि, परिवहन राज्य का विषय है इसलिए संबंधित राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश शेयर्ड मोबिलिटी को बढ़ावा देने तथा इस मामले से संबंधित प्रचालन में आने वाली बाधाओं के समाधान के लिए उत्तरदायी हैं।

*****